

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत इश्वरलाल शर्मा सिकराय (वैसा)
 सरकार बनाम खेमराज
 किरम मुकदमा 28 RTA मु० नं० 187/21

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.3.22	पञ्चावली पेशा वकील उमरपडा उमर काइज अधिकारी हेतु कोन्सुल डकमर डिमा जमा दि० 25.3.22 को पेशा है।	रजिस्ट्रार
25.3.22	पञ्चावली पेशा वकील उमरपडा उमर काइज अधिकारी केसिका जमा है। वानि लक्ष्मणदावा दि० 4.4.22 को पेशा है।	ना. न. न. न.
4.4.22	पञ्चावली पेशा उमरपडा आधिकारिता इश्वरलाल कहल दावा सुनी गयी। वादीगण आम कालवाचन के खाता सं. 412 में लाडा देवी के नाम दर्ज भूमि कर, दानपत्र दि. 1.6.81 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। इश्वरपडा की कहल अनुसार दानपत्र में लिखित श्रुति सं. 148 के स्थान पर सं. 149 लिखे जाने से आज दिनांक तक अमल दरामद नहीं हो सके हैं। रिकार्ड के अफ्लोकन से साबित है कि दान के समथ सं. 149 का रकबा 12 बिघा था तथा सं. 148 का रकबा 5.02 बीघा है। रिकार्ड रहा है। दानकर्ता द्वारा दानपत्र में रकबा 5.02 बीघा वर्णित किया है तथा stamp व registration duty भी 5.02 बीघा की लमा करवाये हैं। इससे साबित है कि सं. 148 के स्थान पर दानपत्र सं. 149 लिखा जाना सही है। अतः उक्त अनुसार सिकराय की आदेशित किया जात है कि अतः दानपत्र की सं. 148 का हुआ दानपत्र Consider करके इसे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करके मुताबिक आदेश दिनी व उक्त लमा होकर पञ्चावली के लाल सुमार हो।	(रजिस्ट्रार) 4.4.22